हरियाणा में उद्यान फसलों की बीमा योजना

यह एक केन्द्रिय प्लान स्कीम है। इसे वर्ष 2005–06 में शुरू किया गया था। वर्ष 2014–15 के लिए रू0 50.00 लाख स्वीकृत किये गये थे जिसे बाद में रू0 10.00 लाख की संशोधित स्वीकृति जारी की गई थी। वर्ष 2015–16 के लिए रू0 50.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

i) विभाग के लंबी अवधि के उदेश्य

a) बागवानी क्षेत्र को फसल बीमा द्वारा स्थायित्व प्रदान करना

b) संबंधित क्षेत्र में रोजगार की संभावनाए तैयार करना

ii) विभाग के मध्यम अवधि के उदेश्य (पांच वर्ष)

a) किसानों को अच्छी किमत वाली तथा अच्छे गुणवत्ता वाले नवीनतम तकनीकी बीज व आदान अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना

b) आपदा के वर्षों में किसानों की आय को स्थायी करने के प्रयास करना

iii) वार्षिक उदेश्य एवं संभावित असर

a) अधिक/कम वर्षा, तूफान, धुन्ध, तापमान तथा आद्रर्ता में अन्तर के चलते फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को बिमा सुविधा से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना

b) किसानों को उच्च्व गुणवत्ता तथा कीमत वाली फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करना

iv) रणनीति

किसानों को फसल बीमा के लाभ के बारे में जागृत कराने के लिए विस्तार सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। किसानों को फसल बीमा के लिए विभिन्न कम्पनियां उपलब्ध कराई जायेगी। सरकार के मानदण्डों अनुसार फसल बीमा में अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

v) गतिविधि/योजना के प्रारम्भ होने की स्थिति में स्कीम को वापिस लेना

किसानों को फसल बीमा से यह लाभ होगा कि वे ऐसी फसलें जिनमें मौसम के कारण ज्यादा खतरा होता है को भी अपनाने लगेंगे तथा मौसम की गडबडियों के कारण होने वाली स्थिति में खेती में होने वाले व्यय को वे बीमा कम्पनी से पूरा करने में सक्षम होंगे।

vi) स्कीम बन्द करने की स्थिति में नगदी प्रवाह की आवश्यकता

नीति अनुसार फसल का जो बीमा प्रीमियम बनेगा उसकी राज्य सरकार के हिस्से की राशि जारी करवाई जायेगी जोकि बीमा कम्पनियों को उनके बिल प्रस्तुत करने पर दी जायेगी।

vii) रिपोर्टिंग प्रणाली/प्रारूप

सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में जब–जब जरूरत होगी रिपोर्ट भेजी जायेगी। यद्यपि बजट उपयोग संबंधी रिपोर्ट ओन–लाईन उपलब्ध होगी।

viii) आन्तरिक/तृतीय पक्ष मुल्यांकन विधि

यह स्कीम अमले के वेतन तथा ढांचे के विकास के लिए है। आन्तरिक आडिट विभाग द्वारा किया जायेगा तथा स्कीम का आडिट प्रधान महालेखाकार द्वारा किया जायेगा।